



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20092025-266270
CG-DL-E-20092025-266270

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4116]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 19, 2025/भाद्र 28, 1947

No. 4116]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 19, 2025/BHADRA 28, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

का.आ. 4234(अ).—यतः, मै. गोपालन इंटरप्राइजेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने कर्नाटक राज्य में महादेवपुरा और कगदासपुरा गांव, के आर पुरम, ब्हाइटफील्ड, बैंगलोर में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1151(अ), 1152(अ) और 1153(अ) दिनांक 4 मई, 2009 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 14.2903 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था;

और यतः, मै. गोपालन इंटरप्राइजेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 14.2903 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, कर्नाटक सरकार ने उनके पत्र संख्या सीआई 218 एसपीआई 2023 दिनांक 5 जुलाई, 2025 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है। अनधिसूचना के बाद, ऐसा विमुक्त क्षेत्र राज्य सरकार के भूमि उपयोग दिशा-निर्देशों/मास्टर स्थानों के अनुरूप होगा;

और यतः, विकास आयुक्त, कोचीन विशेष आर्थिक जोन ने उक्त विशेष आर्थिक जोन के 14.2903 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

अतः अब केंद्र सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए लोपित को छोड़कर, रद्द करती है।

[फा. सं. एफ.2/320/2006-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

S.O. 4234(E).—Whereas, M/s Gopalan Enterprises (India) Private Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for Information Technology/Information Technology Enabled Services at villages Mahadevapura & Kaggadasapura, K R Puram, Whitefield, Bangalore, Karnataka;

AND, WHEREAS, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 14.2903 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 1151(E), S.O. 1152(E) and S.O. 1153(E) dated 4th May, 2009;

AND, WHEREAS, M/s Gopalan Enterprises (India) Private Limited, has now proposed to de-notify the entire area of 14.2903 hectares of the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Karnataka has given No Objection Certificate to the proposal vide letter No. CI 218 SPI 2023 dated 5th July, 2025. Further, after de-notification, such de-notified area will conform to land use guidelines/master places of the State Government;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Cochin Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of the entire area of 14.2903 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in the exercise of the powers conferred by the first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except for things done or omitted to be done before such rescission.

[F.No. F.2/320/2006-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.